Maharashtra and especially the city of Bombay which contribute huge funds to the Central exchequer but very meagre funds are being allotted for Bombay suburban and other regions. This has to be corrected. Otherwise, there may be a movement of stopping of taxes to be given to the public exchequer because the excise duty that plays a major part comes from Maharashtra. If the people of Maharashtra starve for funds and due to that some accidents take place, it will be the responsibility of the Railway Minister. He will be held responsible for this As such, more funds should be given so that tracks are maintained properly, bogies are maintained, engines are maintained and signalling system is maintained. If it is not done, then chaos will always be there. I would, therefore, request the Railway Minister to allocate sufficient funds so that this kind of mishaps do not occur.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, I associate myself with whatever Shri Pradhanji has said. Whenever some accident takes place a statement is made and the railway authorities conduct inquiry themselves. As a result of this, we are not able to know the results of that inquiry, the causes of the accident, whether it is human failure or mechanical failure So, I think this should be a new precedent that whenever there are inquiries their reports should be placed on the Table of the House so that the Members will be able to know the causes of the accidents and as such, the railway authorities would be more cautious.

RE. AKALI DAL (BADAL) MARCH TO DELHI

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम निर्देशित) : उपसभाध्यक्ष जी, पहले आपको इस सीट पर बैठने की मुबारकबाद देता हूं और फिर मुझे समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं ।

हमारे विधान ने अपने विचार व्यक्त करने की जहां हम चाहें, खुली छूट दी है । पंजाब से शिरोमणि अकाली दल (बादल) एक पोलिटिकल पार्टी है । मैं एक नान-पार्टी आदमी हूं फिर भी यह समझता हूं कि किसी को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए जो हमारे विधान ने दिया है । उन्होंने पहली दिसम्बर से दिल्ली तक आने के लिए—ताकि कुछ अपने विचार प्रकट कर सकें अपनी मांगों के संबंध में—एक मार्च शुरु किया था जिसको पंजाब की सरकार ने शुरु नहीं करने दिया । लोगों को उनके घरों से पकड़ लिया गया । जगह-जगह केम्प डाउन किया गया । झूठे केस बनाकर उनको जेलों में डाल गया । यह कहा गया कि यह मार्च हम अपनी टैरिटरी से निकलने नहीं देंगे, दिल्ली तक नहीं जाने देंगे । तो यह सरासर अन्याय है, विधान के साथ खिलवाड़ है और यह हमारे डेमोक्रेटिक नियमों के बिल्कुल ही विरुद्ध है, चाहे हम किसी से सहमत हों या न हों, लेकिन किसी की आवाज को लाठी से दबाना कहीं का न्याय नहीं है । यह तो सरासर अन्याय है । इसका मैं विरोध प्रकट करने के लिए इस हाउस में आपके सामने खड़ा हुआ हूं । यहां हम जो भी चाहे झगड़ें, आपस में विचारों का मतभेद हो, कुछ उनकी मांगों से सहमत हों, कुछ न सहमत हों, लेकिन अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अगर कोई इस देश में कहीं से कहीं चल कर, जाकर अपनी बात कहने की बात करे तो उसको यह कहा जाए कि इस इलाके से मैं नहीं जाने दूंगा, क्या यह इस देश का इलाका नहीं है ? एक-एक प्रांत चाहे कि मैं इसको यहां से नहीं गुजरने दूंगा, दूसरा दूसरे को नहीं गुजरने देगा तो यह हमारे देश के बेसिक डेमोक्रेटिक जो व्यवहार है उसके विरुद्ध है । इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जहां भी कुछ लोग स्लिप करके दिल्ली में आ गए तो यह अगर चोरी-छिपे लोगों का यहां आना है, आते हुए लोगों को बसों में से ढूंढा गया, उनको बसों में से उतारा गया और पूछा गया कि आप कैसे हो, कहां जा रहे हो, तो इस तरह से अपने नागरिकों के ऊपर शक करना कि आप अकाली जैसे लगते हो, अकाली ग्रुप

जैसे लगते हों, तो इसी दशा में जैसे लगने वालों को यहां नहीं आने देना, क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं ? क्या उनको इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, इस तरह से कहना कि आप ऐसे लगते हो, आप उस रैली में जाने की कोशिश कर रहे हो, यह कोई न्याय है ? वे कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे थे, कोई कानून के विरोध में नहीं कर रहे थे, कानून को यहां की सरकार ने भंग किया तो उसको यहां दिल्ली की सरकार से चाहिए था कि वह कहते कि ऐसा करना गलत है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से और सारी सभा के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा जहां भी हो उसकी निंदा करनी चाहिए और लोगों को अपनी बात कहने का खुले आम अधिकार होना चाहिए। पंजाब में अब यह माना जाता है कि बहुत देर के बाद नार्मेलसी आई है, तो इस नार्मेलसी को इस तरह से दबा कर रखना कि अपनी आवाज को भी कोई उठा न सके, लोगों के सामने रख न सके, यह इतने सालों से जो दबी हुई आवाज है उसको और दबाकर रखना यह ठीक नहीं है, न्याय नहीं है, कानूनी नहीं है, वैधानिक नहीं है। इसकी मैं निन्दा करता हूं और मैं समझता हूं कि इसकी हमें और सारे देश को निंदा करनी चाहिए और सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री धूमल (हिमाचल प्रदेश) महोदय, जो बात उठाई गई है मैं इसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से अकाली दल के लोगों को यहां आने से रोका गया उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो पंजाब के जो मुख्य मंत्री हैं या पंजाब की सरकार है वह इस बात से डरती है कि उनका कच्चा चिट्ठा कहीं दिल्ली तक न पहुंच जाए ? तो यह भी ठीक नहीं। दूसरा अगर अकाली दल ने यहां आने से पहले कोई संविधान के विरोध में या कोई हिंसा की वारदात या ऐसी कोई गतिविधि की हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना उचित था। अगर वह शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको रोकना सर्वथा अनुचित है। अगर ऐसा रोकेंगे तो पंजाब का इतिहास दोहराया जाएगा। सर्व-साधारण और शांतिपूर्ण गतिविधि को रोका गया तो लोग दोबारा आतंकवाद की तरफ जायेंगे। यह उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि पंजाब सरकार ने अकाली दल के शांतिपूर्ण मार्च को रोक कर गलत किया है और यहां के गृह मंत्री को, यहां की सरकार को इसके बारे में पंजाब की सरकार को चेतावनी देनी चाहिए और यहां की सरकार को चाहिए कि अकाली दल के नेताओं को स्वयं बुला कर होम मिनिस्टर बुलायें और उनको कहें कि जो कुछ आपको कहना है आप खुले आम आकर कह हम आपकी बात, जो आप शांतिपूर्वक कहना चाहते है, सुनने के लिए तैयार है शांति-पूर्ण किसी भी दल की गतिविधि को रोकना, यह सर्वथा अनुचित है, लोकतंत्र के खिलाफ है और यह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्योंकि गणतंत्र में हम सब को सब कुछ कहने का और सुनने का अधिकार है, लेकिन अगर वे यहां आना चाहते है और उसको हम रोक देते हैं तो फिर वे लोग क्या करेंगे ? दूसरा रास्ता क्या बचेगा ? तब तो यह संविधान के विपरीत भी है और गणतंत्र के खात्मे का एक प्रयास भी है। इसलिए मै उसकी सख्त निंदा करता हूं। हम लोग तो कौंसिल आफ स्टेट्स के है, इसलिए हम लोगों को और भी ज्यादा अधिकार है कि इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें कि वह इसमें हस्तक्षेप करे, उन लोगों को बुलाए मुख्य मंत्री को या दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार हम उनको दें। सिर्फ यही कहें कि कोई हिंसा में न जाए, इसकी गारंटी होनी चाहिए। जहां तक संभव हो उतना हम लोग इस पर करें, यही मैं कहना चाहता हूं।

THE COTTON TRANSPORT REPEAL BILL, 1994

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move for leave to